बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्र संख्या : /पटना, दिनांक
04/उ0वि0 निर्माण–14–04/25

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

विषयः– **Renovation and Upgradation Work of Secretary Chamber at, Industries Department 2nd Floor, Vikash Bhawan, Patna (Patr-A), (Patr-B), (Patr-C) के कार्य हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को समेकित रूप से कुल राशि 43,23,843/–(तेतालीस लाख तेईस हजार आठ सौ तेतालीस) रूपये मात्र का भुगतान हेतु राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषयक आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना को वित्तीय वर्ष 2025–26 में Renovation and Upgradation Work of Secretary Chamber at, Industries Department 2nd Floor, Vikash Bhawan, Patna के कार्य हेतु कुल राशि 43,23,843/–(तेतालीस लाख तेईस हजार आठ सौ तेतालीस) रूपये मात्र की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त कार्य हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

3. राशि का व्यय मांग संख्या–23, मुख्य शीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष–0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड–23–2852801020163, विषय शीर्ष 2701 लघु कार्य मद में वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त बजट उपबंध से विकलित होगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी खाता अंतरण के माध्यम से BTC Form 46 पर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना के नया पी0एल0 खाता सं0–PBBPLA012 (पुराना पी0एल0 खाता सं0–PLA 268) में उपलब्ध करायेगें।

5. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी, अपर सचिव (श्री विनोद कुमार सिंह), उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

6. पी0एल0 खाताधारी पी0एल0 खाता का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memorandum) एवं व्यय के सुसंगत भाउचर्स उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे तथा एक प्रति विभाग में भी उपलब्ध करायेंगे।

7. अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना से प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि आवंटन के प्रस्ताव पर संचिका संख्या–04/उ0वि0 निर्माण–14–04/25 के पृष्ठ–06/टि0 पर दिनांक 13.11.2025 को अनुमोदन प्राप्त है।

8. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04/उ0वि0 निर्माण–14–04/25 के पृष्ठ 05/टि0 पर दिनांक– 07.11.2025 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक.../   पटना, दिनांक–............................

04/उ0वि0 निर्माण–14–04/25

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक.../   पटना, दिनांक–............................

04/उ0वि0 निर्माण–14–04/25

प्रतिलिपि–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......230....................................../   पटना, दिनांक–15/01/26....

04/उ0वि0 निर्माण–14–04/25

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/संयुक्त सचिव (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा–09 (उ0 नि0)/प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/26
अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

IT manager